राज्य कर्मचारियों के लिए ए.सी.पी. व्यवस्था -एक सरल अध्ययन

- संदीप कुमार पटेल

1. एसीपी की व्यवस्था दिनांक 01 दिसंबर 2008 से लागू की गयी है | इसके पहले वेतनमान 8000-13500 से निम्न वेतनमानों के लिए समयमान वेतनमान एवं 8000-13500 अथवा उच्च वेतनमानों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू है |
2. कोई भी कार्मिक 01 दिसंबर 2008 को यदि सीधी भर्ती या एक या एक से अधिक पदोन्नति प्राप्त कर पद के साधारण वेतनमान में है और उसको समयमान वेतनमान की पुरानी व्यवस्था में कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तब उसको वर्तमान में धारित पद में प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगले ग्रेड वेतन के रूप में कुल तीन ए.सी.पी. 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवाओं पर प्रदान की जाएँगी | ए.सी.पी. प्रदान करनें के लिए सेवा नियमित, निरंतर एवं संतोषजनक होनी चाहिए |
3. पहली ए.सी.पी. 01/12/2008 को धारित पद पर 10 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा या 01/12/2008 जो भी बाद में हो, से प्रदान की जाएगी लेकिन यदि उक्त कार्मिक की पदोन्नति 01/12/2008 के बाद एवं 10 वर्ष की सेवा के पूर्व हो जाती है तब उसको पहली ए.सी.पी. नहीं प्रदान की जाएगी |
4. दूसरी ए.सी.पी. पहली ए.सी.पी. प्राप्त होने के बाद 6 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रदान की जाएगी लेकिन यदि किसी कार्मिक को पहली ए.सी.पी. 01/12/2008 को 10 वर्ष से अधिक की सेवा पर प्रदान की गयी है तो उस कार्मिक को दूसरी ए.सी.पी. उस धारित पद पर कुल 16 वर्ष की सेवा पर प्रदान की जाएगी | यदि उक्त कार्मिक की पदोन्नति पहली ए.सी.पी. के बाद हो जाती है तब भी 16 वर्ष की सेवा पर उसे दूसरी ए.सी.पी. प्रदान की जाएगी | यदि कार्मिक की पदोन्नति 10 के पूर्व हो जाती है तब उक्त कार्मिक को पदोन्नति के 6 वर्ष बाद सीधे दूसरी ए.सी.पी. दी जाएगी | यदि किसी कार्मिक को 01/12/2008 के बाद दो पदोन्नति प्राप्त हो चुकी है तब उक्त कार्मिक को दूसरी ए.सी.पी. प्रदान नहीं की जाएगी |
5. तृतीय ए.सी.पी. 01/12/2008 को धारित पद पर कुल 26 वर्ष की सेवा पर या दूसरी ए.सी.पी. के बाद 10 की सेवा पर प्रदान की जाएगी |
6. यदि कार्मिक को पहली और दूसरी ए.सी.पी. एक ही दिनांक (01/12/2008) को देय होती है तो उसे पहली काल्पनिक मानते हुए सीधे दूसरी प्रदान की जाएगी इसी प्रकार यदि दूसरी और तीसरी ए.सी.पी. एक ही दिनांक को देय होती है तो सिर्फ तीसरी देय होगी ऐसी परिस्थिति तभी आ सकती है जब कार्मिक एक विभाग के किसी ग्रेड वेतन के पद से दुसरे विभाग में उसी ग्रेड वेतन पर नियुक्त होता है क्योंकि समयमान वेतनमान की व्यवस्था में दो विभागों की सेवाएँ नहीं जोड़ी जाती थी |
7. संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि कार्मिक को ए.सी.पी. देर से प्राप्त होती है तो इस अवधि का प्रभाव आगे की सभी ए.सी.पी. में रहेगा |
8. सीधी भर्ती में नियुक्ति के पश्चात् कार्मिक की प्रथम पदोन्नति के पश्चात् केवल दूसरी एवं तीसरी ए.सी.पी., दूसरी पदोन्नति के पश्चात केवल तीसरी ए.सी.पी. प्रदान की जाएगी | तीसरी पदोन्नति के पश्चात कोई भी ए.सी.पी. प्रदान नहीं की जाएगी |
9. एक ही संवर्ग में समान ग्रेड वेतन में पदोन्नति पर भी उसे वित्तीय स्तरोननयन माना जायेगा |

10. ए.सी.पी. प्राप्त करने पर कार्मिक के पदनाम/श्रेणी/वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन अन्य लाभ प्रदान किये जायेंगे |
11. अन्य राजकीय विभागों में सामान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को भी ए.सी.पी. की गणना में लिया जायेगा लेकिन वर्तमान विभाग में परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरांत ही विचार किया जायेगा लेकिन केंद्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/ सार्वजनिक उपक्रम/निगम की सेवा को ए.सी.पी. की गणना में नहीं लिया जायेगा |
12. रोजगार अवकाश को छोड़कर सभी स्वीकृत अवकाशों की अवधि को ए.सी.पी. की गणना में लिया जायेगा|
13. अनुशासनात्मक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही प्रचलित होने पर अंतिम निर्णय होने तक ए.सी.पी. स्थगित रहेगी |
14. ए.सी.पी. प्रदान करते समय ग्रेड वेतन 2000 को इग्नोर किया जायेगा |
15. अवर अभियंता ग्रेड वेतन 4200 के पद पर 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम ए.सी.पी. 4600 के स्थान पर 4800 अनुमन्य होगी अन्य सभी क्रमानुसार उच्च ग्रेड वेतन होगी | 4800 सिर्फ प्रथम ए.सी.पी. पर ही देय है |
16. ए.सी.पी. की व्यवस्था में कुछ प्रतिबंधो के कारण यदि किसी कार्मिक को सीधी भर्ती में नियुक्ति की तिथि से 16/26 वर्ष की सेवा के बाद भी यदि सीधी भर्ती में प्राप्त ग्रेड वेतन से दो/तीन उच्च ग्रेड वेतन प्राप्त नहीं हुए हैं तो ऐसे कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से 16/26 वर्ष की सेवा पर दूसरा/तीसरा उच्च ग्रेड वेतन प्रदान किया जायेगा |
17. पूर्व की समयमान वेतनमान की व्यवस्था में यदि किसी कार्मिक को 05/08/14 वर्षीय लाभ (प्रथम प्रोन्नत वेतनमान) प्राप्त हो चुका है तब उसे दूसरी ए.सी.पी. कुल 16 वर्ष की सेवा पर दिनांक 01/12/2008 को या उसके बाद से प्रदान की जाएगी | पूर्व की समयमान वेतनमान की व्यवस्था में यदि किसी कार्मिक को 14/16/18/24 वर्षीय लाभ(द्वीतीय प्रोन्नत वेतनमान) प्राप्त हो चुका है तब उसे तीसरी ए.सी.पी. कुल 26 वर्ष की सेवा पर दिनांक 01/12/2008 को या उसके बाद से प्रदान की जाएगी | यदि 05/08/14 या 14/16/18/24 वर्षीय लाभ प्राप्त कार्मिक की पदोन्नति 01/12/2008 के बाद समान या उच्च वेतनमान में हो जाती है तो उस कार्मिक को दूसरी या तीसरी ए.सी.पी. के लिए ऐसी पदोन्नति को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा एवं उसे पहले से प्राप्त वेतनमान से उच्च वेतनमान प्रदान किया जायेगा |
18. यदि किसी कार्मिक को समयमान वेतनमान की व्यवस्था में प्रथम पदोन्नत वेतनमान प्राप्त हुआ है तथा उसकी पदोन्नति उसी वेतनमान में 01/12/2008 के पूर्व हो जाती है तब वह कार्मिक उस धारित पद के साधारण वेतनमान में आ जाता है ऐसे कार्मिक को पदोंन्नति के 10 वर्ष बाद ही प्रथम ए.सी.पी. देय होगी लेकिन अगर किसी कार्मिक की पदोन्नति न हो तब उसे 16 वर्ष की सेवा पर दूसरी ए.सी.पी. की देयता बन जायेगी ऐसी स्थिति में यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ से कम हो जाता है तब वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ के बराबर कर दिया जायेगा शर्त यह है कि भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें सामान होनी चाहिए|
19. समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त होनें के पश्चात यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति उसी ग्रेड वेतन में होती है तब उक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण 3% की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा |
20. समयमान वेतनमान के अंतर्गत 8 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर प्राप्त वेतनवृद्धि को ए.सी.पी. हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा |

21. ए.सी.पी. अनुमन्य होनें पर कार्मिक ए.सी.पी. की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से अपने विकल्प के अनुसार वेतन निर्धारण करवा सकता है | सामान्यतः ए.सी.पी. पर वेतन निर्धारण करते समय कार्मिक को पहले से प्राप्त वेतन पर एक वेतनवृद्धि 3% की देने के बाद उच्च ग्रेड वेतन दिया जायेगा | कार्मिक यदि ए.सी.पी. की तिथि से निर्धारण करवाता है तब उसे ए.सी.पी. की तिथि को एक वेतनवृद्धि देने के बाद अगला ग्रेड वेतन दिया जायेगा एवं अगली वेतनवृद्धि 6 माह बाद पड़ने वाली जुलाई को प्रदान की जाएगी| यदि कार्मिक अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवाता है तब उसको ए.सी.पी. की तिथि को केवल नया ग्रेड वेतन प्रदान किया जायेगा अगली जुलाई को ए.सी.पी. के पहले प्राप्त वेतन में दो वेतनवृद्धि देने के पश्चात् नया ग्रेड वेतन प्रदान किया जायेगा |
22. ए.सी.पी. प्राप्त करने के पश्चात यदि कार्मिक की पदोन्नति उसी ग्रेड वेतन में होती है तब कोई भी वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, यदि पदोन्नति में ग्रेड वेतन बदल रहा है तब पदोन्नति का ग्रेड वेतन देय होगा परन्तु यदि ग्रेड वेतन के साथ साथ वेतन बैण्ड भी परिवर्तित हो रहा है तब उस वेतन बैण्ड के न्यूनतम सीमा तक वेतन बढ़ा दिया जायेगा |
23. ए.सी.पी. पर विचार करनें के लिए प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी जिसमे अध्यक्ष एवं दो सदस्य श्रेणी ख के होंगे | सदस्यों का ग्रेड वेतन ए.सी.पी. के लिए विचार किये जाने वाले कार्मिकों से एक स्तर उच्च होगा एवं अध्यक्ष का ग्रेड वेतन सदस्यों से एक स्तर उच्च होगा | इस कमेटी की जनवरी एवं जूलाई में दो बैठकें होंगी |
24. वेतनवृद्धि का पूर्णांकन 10 रूपये में किया जायेगा अर्थात 0.00 से 0.99 को इग्नोर किया जायेगा एवं 1 से 9.99 को अगले 10 में पूर्णांकन किया जायेगा |
25. यदि किसी सीधी भर्ती के पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन उच्चीकृत होता है तब उच्चीकरण की तिथि से उस ग्रेड वेतन का न्यूनतम वेतनमान प्रदान किया जायेगा परन्तु यदि किसी प्रमोशनल पद का ग्रेड वेतन उच्चीकृत होता है तब उस पद का सिर्फ ग्रेड वेतन प्रदान किया जायेगा | उच्चीकरण में सिर्फ उच्चीकरण का लाभ दिया जाएगा वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी | उच्चीकरण में वेतन निर्धारण करते समय विकल्प प्रस्तुत कर उच्चीकरण की या अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण का का लाभ प्राप्त होगा | यदि किसी पद का वेतनमान जनवरी से जून के मध्य उच्चीकृत होता है और कार्मिक वेतनवृद्धि की तिथि से उच्चीकरण का विकल्प प्रस्तुत करता है तब उसको वार्षिक वेतनवृद्धि देने के बाद उच्चीकरण किया जाएगा अन्यथा उच्चीकरण की तिथि को उच्चीकरण किया जायेगा, अगली वेतनवृद्धि 6 माह के बाद पड़ने वाली जुलाई निर्धारित की जाएगी
26. ए.सी.पी. की अनुमन्यता हेतु पूर्व में प्राप्त वेतनमान एवं उच्चीकरण के पश्चात प्राप्त वेतनमान दोनों को संज्ञान में लिया जायेगा |
27. सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण के पश्चात् ए.सी.पी. प्रदान करते समय भी कार्मिक की ए.सी.पी.की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवाने का विकल्प उपलब्ध होगा | यदि कार्मिक पदोन्नति की तिथि का विकल्प चुनता है तब उसको एक वेतनवृद्धि पुराने लेबल में देने के पश्चात् उस वेतन के बराबर या उससे उच्चवेतन नए लेबल का प्रदान किया जायेगा तथा अगली वार्षिक वेतनवृद्धि 6 माह के बाद पड़ने वाली 1 जनवरी या 1 जुलाई को होगी | यदि कार्मिक वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प चुनता है तब ए.सी.पी. की तिथि को पहले से प्राप्त वेतन को उच्च लेबल में उस वेतन के बराबर या अधिक कर दिया जायेगा और वेतनवृद्धि की तिथि को पुराने लेबल में दो वेतनवृद्धि

प्रदान करनें के पश्चात् प्राप्त वेतन को नए लेबल के बराबर या उससे उच्च वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा एवं अगली वार्षिक वेतनवृद्धि 6 माह के बाद पड़ने वाली 1 जनवरी या 1 जुलाई को होगी |

28. यदि किसी कार्मिक को 01/07/2016 के पूर्व ए.सी.पी. प्राप्त होती है तथा वह वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प प्रस्तुत करता है तब उसको वेतनवृद्धि की तिथि को दो वेतनवृद्धि पुराने लेबल में देने के पश्चात् नए लेबल में वेतन निर्धारण करेंगे एवं अगली वेतनवृद्धि 01/07/2017 को देय होगी | यदि उक्त कार्मिक यदि ए.सी.पी. की तिथि को वेतन निर्धारण का विकल्प देता है तब एक वेतनवृद्धि पुराने लेबल में ए.सी.पी. की तिथि को देने के पश्चात् नए लेबल में वेतन निर्धारण करेंगे अगली वेतनवृद्धि 01/01/2017 को देय होगी |
29. यदि किसी कार्मिक को 01/07/17 को ए.सी.पी. प्राप्त होती है तब 01/07/17 को दो वेतनवृद्धि पुराने लेबल में देने के पश्चात् नया लेबल दिया जायेगा एवं अगली वेतनवृद्धि 01/01/18 होगी |

(संदीप कुमार पटेल)
प्रभागीय लेखाधिकारी-II
डाल नहर खंड, झाँसी

सम्बंधित शासनादेश :-

1. वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008 दिनांक 08/12/11
2. वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05/11/14
3. वे0आ0-2-3025/दस-59(एम)/2008 दिनांक 09/12/10
4. 6/2015/वे0आ0-2-123/दस-62(एम)/2008 दिनांक 12/02/15
5. 8/2015/वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/2008टी0सी0-1-03 दिनांक 03/03/15
6. 50/2015/वे0आ0-2-871/दस-62(एम)/2008 दिनांक 26/08/15
7. 20/2016/वे0आ0-398/दस-2016-62(एम)/2008टी0सी0-1-29 दिनांक 29/03/16
8. 8/2017-जी0-2-75/दस-2017-01/2017 दिनांक 07/06/17
9. 10/2017-जी0-2-190/दस-2017-01/2017 दिनांक 10/10/17
10. जी0-2-212/दस-2009-333-86 दिनांक 03/03/09
11. वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग 2 से 4

वेतन निर्धारण पर कुछ भी लिखना महाभारत पर टीका लिखने के समान है |
- सुजय सर

पुनरीक्षित वेतन संरचना - छठवां वेतन आयोग

1. वेतन बैण्ड - 1 (5200 - 20200 रू)
   - (1) 1800 (5200+1800=7000)
   - (2) 1900 (5830+1900=7730)
   - (3) 2000 (6460+2000=8460)
   - (4) 2400 (7510+2400=9910)
   - (5) 2800 (8560+2800=11360)

2) वेतन बैण्ड - 2 (9300 - 34800 रू)
   - (1) 4200 (9300+4200=13500)
   - (2) 4600 (12540+4600=17140)
   - (3) 4800 (13350+4800=18150)
   - (4) 5400

3) वेतन बैण्ड - 3 (15600 - 39100 रू)
   - (1) 5400 (15600+5400=21000)
   - (2) 6600 (18750+6600=25350)
   - (3) 7600 (21900+7600=29500)

4) वेतन बैण्ड - 4 (37400 - 67000 रू)
   - (1) 8700 (37400+8700=46100)
   - (2) 8900 (40200+8900=49100)
   - (3) 10000 (43000+10000=53000)
   - (4) 12000 (47100+12000=59100)

5) उच्चतम वेतनमान (80000 नियत)
   - (1) 0 (80000)